FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0230 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/08/2026 14:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 10/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 12/08/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 11:44 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/08/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/08/2026 14:28:14 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 469 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** PARISAR, KARYALAY MUKHYA CHIKITSA AVM SWASTHYA ADHIKARI, SALUMBER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** HARSHIL JAIN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ASHOK JAIN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1999 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DAGAR, JHALLARA, सलूम्बर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DAGAR, JHALLARA, सलूम्बर, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GHANSHYAM SINGH SOLANKI		पिता:LATE. MADANSINGH SOLANKI	1. 1-B, AASHIRWAD,SHRI GANESH COLONY,JALIYA ROAD,BEAWAR,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सम्पूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 10.07.2026 को परिवादी श्री हर्षिल जैन पुत्र श्री अशोक जैन उम्र 27 वर्ष निवासी डगार, पुलिस थाना झल्लारा, जिला सलूम्बर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर उपस्थित हो श्री अनन्त कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को एक टाईपशुदा रिपोर्ट मय हस्ताक्षरशुदा इस आशय की प्रस्तुत की कि ''मैं हर्षिल जैन पुत्र श्री अशोक जी जैन उम्र 27 वर्ष निवासी डगार पुलिस थाना झल्लारा जिला सलूम्बर का रहने वाला हू। गांव डगार में ही हमारी पुश्तैनी किराणा की दुकान है जो मेरे पिताजी चलाते है। इसके अलावा फरवरी 2026 से मैंने कोका कोला कोल्ड ड्रिंक की एजेन्सी शुरू की है जो दुकान संख्या 10, नावडिया एन्टरप्राईजेज, गौण कृषि उपज मण्डी, सलूम्बर में संचालित है। हमारी डगार की दुकान तथा कोल्ड ड्रिंक की एजेन्सी पर पिछले कुछ समय से श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सलूम्बर आ रहे है तथा वहां पर रखे सामान/स्टॉक के निरीक्षण और सैम्पल ले जाकर जुर्माना लगाने, केस बनाने तथा जेल भिजवाने की धमकी देकर अनावश्यक दबाव बनाकर रूपयों की मांग कर रहे है। दिनांक 12.05.2026 को मैं मेरी सलूम्बर स्थित एजेन्सी पर ही मौजूद था तभी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सलूम्बर आये और एजेन्सी पर रखे सामान का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कोई भी अनियमितता नहीं पाये जाने पर भी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, फूड सेफ्टी ऑफिसर ने मुझसे बार-बार निरीक्षण के लिए नहीं आने और सैम्पल के नाम पर परेशान नहीं करने के नाम पर साल में दो बार बंधी के रूप में दस-दस हजार रूपयों की रिश्वत की मांग की। दिनांक 09.06.2026 को श्री घनश्याम सिंह सोलंकी अपनी टीम के साथ हमारी डगार स्थित किराणे की दुकान पर आये। तब मैं और मेरे पिताजी दोनों डगार स्थित दुकान पर ही मौजूद थे। श्री घनश्याम सिंह सोलंकी ने दुकान का निरीक्षण कर दुकान पर रखे घी मिल्कफूड के चार पैकेट सैम्पल के रूप में साथ में ले लिए और एक नोटिस मेरे पिताजी के नाम पर जारी करते हुए उसकी कार्बन प्रति मेरे पिताजी को सौंप दी। इसके बाद श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, फूड सेफ्टी ऑफिसर ने अपनी टीम से अलग जाकर दुकान से बाहर मुझसे बात की और कहा कि तुमने अब तक अपनी सलूम्बर वाली एजेन्सी के भी दस हजार रूपये नहीं दिये है। इस डगार वाली दुकान के भी मैं बार-बार निरीक्षण के लिए नहीं आने और सैम्पल के नाम पर परेशान नहीं करने के नाम पर दस हजार रूपये लूंगा। यदि तुम्हे किराणे की दुकान और अपनी एजेन्सी शान्ति से चलानी है तो तुम्हें साल में दो बार दोनो जगह के बीस-बीस हजार रूपये देने ही पडेंगे। श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, फूड सेफ्टी ऑफिसर ने जाते जाते यह भी कहा कि मेरे बारे में सलूम्बर के व्यापारियों से मालूम कर लेना। अगर मैं अपनी पर आ जाता हूं तो केस बनाकर जेल भिजवाकर ही मानता हूं। इसके बाद दिनांक 30.06.2026 को शाम को श्री घनश्याम सिंह, फूड सेफ्टी ऑफिसर का अपने मोबाइल नम्बर से मेरे मोबाइल नम्बर पर व्हॉटसअप कॉल आया और उन्होंने अपने कहे अनुसार रिश्वत की राशि लेकर मुझे अपने ऑफिस बुलाया। पर मैंने व्यस्तता का बहाना बनाकर उन्हें बाद में आने का कहकर टाल दिया। दिनांक 06.07.2026 को भी श्री घनश्याम सिंह, फूड सेफ्टी ऑफिसर का मेरे पडौस की किराणा की दुकान के मालिक श्री संजय जैन के मोबाइल नम्बर से मेरे मोबाइल नम्बर पर कॉल आया और श्री घनश्याम सिंह ने मुझे धमकाया कि तुम अब तक मेरे ऑफिस आये नहीं हो, या तो दो दिन में मेरे ऑफिस आ जाना, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैंने दिनांक 08.07.2026 को श्री घनश्याम सिंह को कॉल किया जो उन्होंने नहीं उठाया। इसके बाद शाम को उन्होंने मुझे वापस कॉल किया लेकिन तब मैंने उन्हें अपना अहमदाबाद निकल जाना बताया क्योंकि तब तक मैं इस भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नहीं देने का तय कर चुका था । हमारी डगार की किराणे की दुकान और मेरी सलूम्बर स्थित कोका कोला कोल्ड ड्रिंक की एजेन्सी में हम कोई मिलावटी, एक्सपायर्ड या नकली सामान नहीं रखते है। फिर भी श्री घनश्याम सिंह, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सलूम्बर हमसे दुकान/एजेन्सी पर रखे सामान/स्टॉक के निरीक्षण और सैम्पल ले जाकर जुर्माना लगाने, केस बनाने तथा जेल भिजवाने की धमकी देकर रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं उनको रिश्वत की राशि नहीं देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हू। मेरी श्री घनश्याम सिंह, फूड सेफ्टी ऑफिसर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर से कोई रंजिश नहीं है और ना ही कोई उधार अथवा लेनदेन बकाया है। अतः मेरी रिपोर्ट के सम्बन्ध में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करे।'' परिवादी श्री हर्षिल जैन द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट का अवलोकन उपरान्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से जानकारी ली गई तो परिवादी ने उक्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद की तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। श्री घनश्याम

सिंह सोलंकी के द्वारा दिनांक 09.06.2026 को उसकी डगार स्थित किराणे की दुकान का निरीक्षण कर दुकान पर रखे घी मिल्कफूड के चार पैकेट सैम्पल लिये जाकर नोटिस परिवादी के पिताजी श्री अशोक कुमार जैन के नाम जारी कर कार्बन प्रति सौंपी थी, उक्त नोटिस की फोटो प्रति परिवादी श्री हर्षिल जैन ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की। जिसके अवलोकन उपरान्त परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग एवं लेनदेन का पाया जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो की कार्यवाही से अवगत करा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री विक्रम पण्ड्या हैड कानि. 2831 से आपस में परिचय करवाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष की मेज की दराज का ताला खोलकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकाला जाकर परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से भलीभांति अवगत करवाया। दिनांक 11, 12.07.2026 का राजपत्रित अवकाश होने से श्री घनश्याम सिंह, फूड सेफ्टी ऑफिसर के सलूम्बर में मिलने की सम्भावना नहीं होने से दिनांक 13.07.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन की अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी एवं श्री विक्रम पण्ड्या हैड कानि. 2831 को निर्देशित कर परिवादी को रूखसत किया गया। दिनांक 13.07.2026 को प्रातः ट्रैप कार्यवाही हेतु नया मेमोरी कार्ड लेते हुए ब्यूरो के लैपटॉप की मदद से उसके खाली होना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही श्री विक्रम पण्डया, हैड कानि. 2831 से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में उक्त नया (खाली) मेमोरी कार्ड इन्सर्ट करवाया जाकर सलूम्बर पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की हिदायत कर सलूम्बर के लिए रवाना किया गया। जिस पर श्री विक्रम पण्डया हैड कानि द्वारा सलूम्बर पहुंच परिवादी से मिलकर परिवादी के मोबाइल को लाउडस्पीकर पर करा परिवादी से आरोपी श्री घनश्याम सिंह के मोबाइल पर व्हॉटसअप कॉल करा वार्ता करायी गयी तो आरोपी ने कोर्ट में पेशी में व्यस्त होना बताते हुए उस दिन नहीं मिलने को बताया। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर श्री विक्रम पण्डया मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के सलूम्बर से रवाना हो उदयपुर पहुंच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हालात अर्ज किये। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 15.07.2026 को श्री विक्रम पण्डया हैड कानि. 2831 को मय ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय इन्सर्टशुदा मेमोरी कार्ड के सलूम्बर भेज रिश्वत राशि के मांग का सत्यापन करवाया गया तो सत्यापन के दौरान परिवादी ने आरोपी के मोबाइल पर व्हॉटसअप कॉल किया तो आरोपी ने डाल चौराहे पर मिल लेने को कहा। परिवादी के मोबाइल फोन को लाउडस्पीकर पर कर वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी को आरोपी के कहे अनुसार रिश्वत मांग सत्यापन आमने सामने वार्ता हेतु परिवादी डाल चौराहे से आगे महारूद्राक्ष होटल, सलूम्बर बाईपास के पास भेजा गया। जहां पर आरोपी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सलूम्बर के द्वारा परिवादी को उसकी दुकान/एजेन्सी पर रखे सामान/स्टॉक के निरीक्षण और सैम्पल ले जाकर जुर्माना लगाने, केस बनाने की धमकी देकर 10-10 हजार रूपये की मांग की। उनकी मांग के क्रम में परिवादी ने अपने विवेक से उसके पास रखे 10,000/-रूपये आरोपी श्री घनश्याम सिंह को दिये, बाकी के 10,000/-रूपये लेकर अगले हफ्ते तक बुलाया। उक्त वार्ता डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई। जिस पर परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था करने की हिदायत दी गई। दिनांक 20.07.2026 को परिवादी श्री हर्षिल जैन ने कार्यालय पर उपस्थित हुआ। जिसे अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु कहा गया तो परिवादी ने 6-7 दिनों के लिए सेमिनार हेतु मुम्बई जाना तथा मुम्बई से आकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना बताया। परिवादी को गोपनीयता बरतने एवं आरोपी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा सम्पर्क होने पर इसकी सूचना से अवगत कराने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 28.07.2026 को परिवादी श्री हर्षिल जैन कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर उपस्थित हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर मौजूद परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, फूड सेफ्टी ऑफिसर के विरूद्ध दिनांक 10.07.2026 को प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट को परिवादी एवं मन पुलिस निरीक्षक की उपस्थिति में पढकर सुनाई तथा पढाई गयी। परिवादी ने रिपोर्ट शब्द ब शब्द सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना ताईद किया। रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन मोबाइल व्हॉटसअप कॉल वार्ता, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से भी अवगत कराया गया। रिपोर्ट पर मन पुलिस निरीक्षक को अग्रिम ट्रैप कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पृष्ठांकन करते हुए पत्रावली मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री हर्षिल जैन एवं पत्रावली मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को अपने कार्यालय कक्ष में लेकर आया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट के सम्बन्ध में मजीद दरियाफ्त की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो पाया कि श्री घनश्याम सिंह, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सलूम्बर के द्वारा परिवादी की दुकान/एजेन्सी पर रखे सामान/स्टॉक के निरीक्षण और सैम्पल ले जाकर जुर्माना लगाने, केस बनाने तथा जेल भिजवाने की धमकी देकर रिश्वत की मांग की गई है तथा मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 15.07.2026 को आरोपी श्री घनश्याम सिंह के द्वारा परिवादी से 10,000/-रूपये रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण की गई तथा शेष रिश्वत राशि 10,000/-रूपये अगले हफ्ते तक लाने को कहा। अग्रिम ट्रैप कार्यवाही के क्रम में कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर द्वारा निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर के नाम पत्र जारी कर दो स्वतंत्र गवाहान श्री ललित सिंह गौड, वरिष्ठ सहायक एवं श्री मोहनलाल, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर की तलबी की गई। मन पुलिस निरीक्षक को दोनो स्वतंत्र गवाहान से परिचय पूछा गया

तो हर दोनो ने अपना पूर्ण नाम पता बताने पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने हेतु स्वीकृति चाही जाने पर हर दोनो ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति व्यक्त की जिस पर मन पुलिस निरीक्षक का परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट दोनो गवाहान को पढकर सुनाई गई तो परिवादी द्वारा रिपोर्ट शब्द ब शब्द सही होना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा भी हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात दिनांक 13.07.2026 को परिवादी एवं आरोपी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी के मध्य हुई व्हॉट्सअप कॉल वार्ता, दिनांक 15.07.2026 को परिवादी एवं आरोपी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी के मध्य हुई व्हॉट्सअप कॉल वार्ता तथा आमने सामने हुई वार्ता की परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में बारी-बारी से फर्द ट्रांसक्रिप्टे मुर्तिब की गई। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा गवाहान के समक्ष ही परिवादी को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर दिनांक 29.07.2026 को सलुम्बर में ही मौजूद रहने की हिदायत दे रूखसत किया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ते को भी दिनांक 29.07.2026 को प्रातः कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 29.07.2026 को समय 09.00 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री ललित सिंह गौड, वरिष्ठ सहायक, श्री मोहनलाल कनिष्ठ सहायक एवं ब्यूरो जाप्ता कार्यालय पर उपस्थित हुए। तत्पश्चात श्रीमती प्रियंका महिला कानि. से कार्यालय की अलमारी में रखी फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी मंगवायी जाकर पुलिस निरीक्षक के निजी वाहन के डेस्क बोर्ड में श्रीमती प्रियंका महिला कानि. से रखवायी जाकर उसके हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये।तत्पश्चात श्री विक्रम पण्डया हैड कानि. 2831 मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, दोनो स्वतंत्र गवाहान, श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री मांगीलाल कानि. मय प्राईवेट वाहन के सलूम्बर की ओर मुनासिब हिदायत के रवाना करते हुए पीछे-पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता, श्रीमती प्रियंका महिला कानि., श्री गुलाबसिंह हैड कानि. मय ट्रैप बॉक्स, प्रिन्टर, लैपटॉप इत्यादि आवश्यक संसाधन के निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय उदयपुर से सलूम्बर के लिए रवाना हो होटल वृंदावन पहुंचे। जहां पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री हर्षिल जैन मौजूद मिला। परिवादी को आरोपी श्री घनश्याम सिंह सोलकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर को उसकी मांग अनुसार दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री हर्षिल जैन ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000/-रूपये (दस हजार रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये, नोटो के नम्बर निम्नानुसार हैः-

1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7BP383687
2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8VE147412
3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5GS305074
4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4AB299291
5 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6DL683462
6 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8PS341686
7 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8HM273843
8 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4CD266585
9 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6SC968363
10 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3BM041729
11 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5PU516378
12 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3KF462262
13 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1CM649685
14 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0CF527630
15 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7PG297551
16 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9FW234179
17 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9KM672674
18 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5MK991400
19 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1RU723483
20 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6CL937793

उक्त होटल के प्रथम तल पर बने हॉल पर दृष्टान्त फिनोफ्थेलीन एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बतायी। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का ईशारा परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ते को बताया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द किया। जिसकी फर्द मुर्तिब की गयी। श्रीमती प्रियका महिला कानि. 317 मय फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी के होटल वृंदावन पर ही रूकवाया गया। परिवादी तथा मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता अपने साथ लाये वाहनों से गौण कृषि उपज मण्डी, सलूम्बर नावडिया

एन्टरप्राईजेज पहुंचे। जहां पर परिवादी के मोबाइल से आरोपी के मोबाइल पर व्हॉटसअप कॉल कर वार्ता करवायी गयी तो आरोपी ने श्री घनश्याम सिंह सोलंकी ने बाद में अपने स्तर पर सम्पर्क कर लेने को कहा। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाइल को लाउडस्पीकर कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त दिनांक को आरोपी के द्वारा परिवादी से सम्पर्क नहीं किये जाने पर रिश्वत लेनदेन की कार्यवाही नहीं होने से होटल वृंदावन, सलूम्बर पहुंच परिवादी की जेब में रखवायी गयी रिश्वती राशि गवाह श्री मोहनलाल से निकलवायी जाकर उक्त नोटों को एक सफेद लिफाफे में रखवाये जाकर उक्त लिफाफे को ट्रैप बॉक्स में रखवाया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी से ले मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी को हिदायत दी कि जब भी आरोपी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी सम्पर्क करे तो इसकी सूचना से मन पुलिस निरीक्षक अथवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करे। परिवादी को रूखसत कर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता सलूम्बर से रवाना हो समय 08.15 पीएम पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पहुंचे। ट्रैप बॉक्स एवं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाया गया। गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ते को रूखसत किया गया। दिनांक 11.08.2026 को परिवादी के द्वारा जरिये दूरभाष बताये कथनानुसार आरोपी ने मिलने के लिए बुलाया है। जिस पर दिनांक 12.08.2026 को अग्रिम ट्रैप कार्यवाही की जानी है। दोनो गवाहान श्री ललित सिंह गौड, वरिष्ठ सहायक एवं श्री मोहनलाल कनिष्ठ सहायक को दिनांक 12.08.2026 को प्रातः 08.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाया गया। दिनांक 12.08.2026 को समय 08.00 एएम पर निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर से स्वतंत्र गवाह श्री मोहनलाल भील, कनिष्ठ सहायक एवं श्री लोकेश चारण, संगणक उपस्थित कार्यालय हुए। श्री लोकेश चारण, संगणक ने अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर से जारी पत्र क्रमांक ई 09063 दिनांक 11.08.2026 पेश कर बताया कि श्री ललित सिंह गौड, वरिष्ठ सहायक के राजकार्य से मुख्यालय पर अनुपस्थित होने के कारण इनके स्थान पर मुझे मनोनित किया गया है। जिस पर श्री लोकेश चारण, संगणक को ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने हेतु सहमति चाही गई तो मौखिक सहमति व्यक्त की। जिसके उपरान्त मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री लोकेश चारण, संगणक को अब तक की कार्यवाही एवं मुर्तिबशुदा फर्दात इत्यादि से अवगत करवाया गया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष की मेज की दराज में रख हुआ डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकाल श्री विक्रम पण्डया को सुरक्षित हालत में संभलाया गया तथा हिदायत दी गयी कि लेनदेन वार्ता से पूर्व परिवादी को दुरूस्त अवस्था में सुपुर्द करे ताकि वार्ता रिकॉर्ड हो सके। गवाह श्री लोकेश चारण, संगणक को सभी ब्यूरो जाप्ते से परिचय करवाया जाकर दृष्टान्त फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की प्रक्रिया समझायी गयी। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन धुलवाये गये। समय 08.30 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को जरिये दूरभाष सलूम्बर बाईपास पर मिलने की हिदायत कर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री विक्रम पण्डया हैड कानि मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, श्री भरत कानि. एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक को निजी वाहन से सलूम्बर के लिए रवाना करते हुए मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेश चारण, संगणक एवं श्री मोहनलाल भील, कनिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाप्ता श्री गुलाबसिंह हैड कानि मय लैपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स इत्यादि आवश्यक संसाधन के मय निजी वाहन के सलूम्बर के लिए रवाना हो सलूम्बर बाईपास स्थित होटल महारूद्रा पर पहुंच अपने अपने वाहनों को एक साईड में खडा करवाया। जहां पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री हर्षिल जैन उपस्थित मिला। सुपरविजन की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मय ब्यूरो जाप्ता श्री करणसिंह एएसआई, श्री पुष्करलाल हैड कानि., श्री चंचल कुमार कानि चालक मय निजी वाहन के मौके पर उपस्थित आये। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री लोकेश चारण, संगणक का परिचय परिवादी से करवाया जाकर उसके द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट दिनांक 10.07.2026 पढकर सुनाई तथा पढाई गई। उक्त रिपोर्ट पर स्वतंत्र गवाह श्री लोकेश चारण के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुनाया गया। श्री लोकेश चारण ने भी आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग की जाने की पुष्टि की। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही रिश्वत लेनदेन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। आरोपी द्वारा की जा रही मांग अनुसार उसको दी जाने वाली रिश्वती राशि दिनांक 29.07.2026 को एक सफेद लिफाफे में रखवाकर ट्रैप बॉक्स में रखवायी गयी थी, उक्त रिश्वती राशि को स्वतंत्र गवाह श्री मोहनलाल से निकलवायी जाकर मुर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री मोहनलाल कनिष्ठ सहायक से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। दोनो गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ते के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गयी कि यदि आरोपी श्री घनश्याम सिंह, कार में आकर रिश्वत राशि ग्रहण करे तो परिस्थिति अनुसार अपनी कार की पार्किंग लाईट ऑन कर रिश्वत राशि का निर्धारित ईशारा करे। समय 11.17 एएम पर परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर ऑन करने की मुनासिब हिदायत के कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर के लिए रवाना करते हुए पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता, ट्रैप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि आवश्यक संसाधन के होटल महारूद्रा से रवाना हो समय 11.25 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के अपने अपने वाहनों से परिवादी के पीछे पीछे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर के बाहर मेनरोड पर पहुंच वाहनों को एक साईड खडा कर परिवादी के निर्धारित ईशारे के

इंतजार में रहे। परिवादी अपने वाहन को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर में पार्किंग परिसर में खडा कर वाहन से निकलकर में कार्यालय की ओर गया। कार्यालय से पुनः बिना कोई ईशारा किये आकर अपने वाहन में सवार हो मन पुलिस निरीक्षक के पास आया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को बंद कर बताया कि आज हरियाली अमावस्या की कार्यालय में छुट्टी है। घनश्याम सिंह सोलंकी अपने ऑफिस में नहीं मिला है। समय 11.34 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी के मोबाइल को लाउडस्पीकर पर परिवादी से मोबाइल से आरोपी के मोबाइल पर वार्ता करवायी गयी तो आरोपी ने 10 मिनिट में अपने ऑफिस आने को कहा। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी। आरोपी के शीघ्र अपने कार्यालय पर आने की सम्भावना को देखते हुए परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर ऑन करा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर के लिए रवाना किया गया। परिवादी के पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के अपने अपने वाहनों से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर के बाहर मेनरोड पर समय करीब 11.40 एएम पर पहुंच वाहनों को एक साईड खडा कर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ही परिवादी को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के कार्यालय सीएमएचओ ऑफिस रवाना किया था। परिवादी के पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता सीएमएचओ ऑफिस, सलूम्बर के बाहर आसपास अपने-अपने वाहनों में मौजूद रह परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे थे। परिवादी ने सीएमएचओ ऑफिस परिसर में ही पार्किंग स्थल में अपनी कार में मौजूद रह आरोपी के इंतजार में रहा। जिस पर समय करीब 11.44 एएम पर एक सफेद रंग की कार मैनरोड से होते हुए सीएमएचओ ऑफिस परिसर में रूकी। जिसमें से एक व्यक्ति उतरकर परिवादी की कार में ड्राईवर के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। करीब 04-05 मिनिट बाद परिवादी ने पूर्व निर्धारित ईशारा अपनी कार की पार्किंग लाईट चालू कर किया। उक्त निर्धारित ईशारा पाकर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता भी अपने-अपने वाहनों से सीएमएचओ ऑफिस के परिसर में परिवादी की कार के पास पहुंचे। जहां परिवादी ने ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को दिया। जिसे मेरे द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने अपनी कार में से ही अपने कार का शीशा उतारकर अपने पास बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही घनश्याम सिंह सोलंकी, फूड सेफ्टी ऑफिसर है जिन्होंने अभी-अभी मेरे से अपनी मांग अनुसार 10,000/-रूपये रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेंट की बायी जेब में रखी थी जो आपको देखकर अपनी पेंट की बायी जेब से निकालकर रिश्वत राशि कार के हैण्ड ब्रेक के यहां रख दी है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना, स्वतंत्र गवाहान एवं हमराहीयान का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम घनश्याम सिंह सोलंकी पुत्र स्वर्गीय श्री मदनसिंह निवासी गांव चण्डावल नगर, तहसील सोजत जिला पाली हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर होना बताया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी की ओर ईशारा कर आरोपी से पूछा कि अभी-अभी आपने 10,000/-रूपये रिश्वत राशि किस बात की ग्रहण की है। जिस पर आरोपी ने बताया कि मैंने कोई रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की है। जिस पर परिवादी ने उपस्थितिन के समक्ष ही बताया कि श्री घनश्याम सिंह सोलंकी झूठ बोल रहे है। हम हमारी डगार की किराणे की दुकान और मेरी सलूम्बर स्थित कोका कोला कोल्ड ड्रिंक की एजेन्सी में हम कोई मिलावटी, एक्सपायर्ड या नकली सामान नहीं रखते है। फिर भी श्री घनश्याम सिंह, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सलूम्बर हमसे दुकान/एजेन्सी पर रखे सामान/स्टॉक के निरीक्षण और सैम्पल ले जाकर जुर्माना लगाने, केस बनाने तथा जेल भिजवाने की धमकी देकर लगातार रिश्वत की मांग कर रहे है। दिनांक 15.07.2026 को मांग सत्यापन के दौरान श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरे से 20,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग करते हुए उसी दिन 10,000/-रूपये ग्रहण किये थे तथा शेष 10,000/-रूपये और लेकर आने को कहा। इनकी मांग अनुसार आज दिनांक को 10,000/-रूपये रिश्वत राशि अपने कार्यालय बुलाकर मेरे से अभी-अभी ग्रहण की है। आपको आते हुए देखकर इन्होंने अपनी पहनी हुई पेंट की बायी जेब से निकालकर मेरी कार में ही हैण्ड ब्रेक के यहां रख दी है जो यही पर पडी है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा पुनः आरोपी से इस सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी कुछ नहीं बोल मौन हो गया। जिसके उपरान्त गवाह श्री मोहनलाल से परिवादी की कार के हैण्ड ब्रेक के पास रखी रिश्वत राशि उठवायी जाकर दोनो गवाहान से गिनवायी गयी तो 500-500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000/-रूपये होना बताया। उक्त नोटों में अंकित नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो मिलान हुबहू हुआ। उक्त नोटों को गवाह श्री मोहनलाल के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसी दरमियान श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मय जाप्ते वाहन के साथ उपस्थित आये तथा कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये। मौके पर पार्किंग स्थल होने से अग्रिम कार्यवाही कार्यालय में संपादित की जानी है। इस हेतु आरोपी श्री घनश्याम सिंह को साथ ले मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता मय लैपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि के प्रथम तल पर स्थित कार्यालय सीएमएचओ, सलूम्बर पहुंचा। आरोपी एवं परिवादी के कथनों के क्रम में रिश्वत राशि ग्रहण की जाने की सत्यता जानने हेतु आरोपी के दोनो हाथो, पहनी हुई पेंट की बायी जेब एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री गुलाबसिंह हैड कानि. 121 से निजी वाहन में रखा ट्रैप बॉक्स

मंगवाया जाकर उसमें से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में अलग-अलग साफ पानी श्री गुलाबसिंह, हैड कानि. से भरवाया जाकर उक्त दोनो गिलासों में श्री गुलाबसिंह हैड कानि. 121 से अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर शीशियों को सिल-चिट करा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH 1 व RH 2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बाये हाथ के धोवन गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर शीशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH 1 व LH 2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। कार्यवाही मे प्रयुक्त किये गये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को जलाकर नष्ट किया गया। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पेंट की बायी जेब में रखने से उक्त पेंट की बायी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक है। इस हेतु आरोपी की पहनी हुई पेंट को सम्मान उतरवायी जाकर उनके कार्यालय कक्ष में रखे लोवर को पहनाया गया। उतरवायी गई पेंट बरंग काला, जींस की होकर पेंट के पीछे लोगो LEVI STRAUSS CO. लगा हुआ है। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री गुलाबसिंह हैड कानि. 121 से ट्रैप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय के पीने युक्त पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाया जाकर उक्त गिलास में श्री गुलाबसिंह हैड कानि. 121 से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की उक्त जींस की पेंट की बायी जेब को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थितिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर शीशियों को सिल-चिट करा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P 1 व P 2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। कार्यवाही मे प्रयुक्त किये गये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। आरोपी की पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा मार्क P अंकित किया गया। तत्पश्चात रिश्वत राशि परिवादी की कार के हैण्ड ब्रेक के यहां से बरामद हुई है, उक्त स्थल का धोवन लिया जाना है। जिस हेतु परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी को साथ ले कार्यालय सीएमएचओ परिसर में खडी परिवादी की कार किया सेलटोस आरजे 27 सीके 2253 बरंग लाल को परिवादी से अनलॉक करवा आगे के दोनो गेट खुलवाये गये। तत्पश्चात श्री गुलाबसिंह हैड कानि से ट्रैप बॉक्स में से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास मंगवाया जाकर उसमें साफ पानी भरवाया जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया । घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने भी घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में एक कपडे की चिन्दी डुबोकर रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पर घुमाई जाकर उक्त चिन्दी को तैयारशुदा रंगहीन घोल में डुबाई गयी तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे उपस्थितिन ने भी हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर शीशियों को सिल-चिट करा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क C 1 व C 2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। कार्यवाही मे प्रयुक्त किये गये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं आरोपी मय आर्टिकल के पुनः प्रथम तल पर स्थित कार्यालय कक्ष में आये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री मोहनलाल के पास सुरक्षित रखवायी हुई रिश्वती राशि 10,000/- रूपये को निकलवा कर नोटों पर अंकित नम्बरों का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का मिलान हुबहू हुआ जिनके नम्बर निम्नानुसार पाया गया-

1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7BP383687
2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8VE147412
3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5GS305074
4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4AB299291
5 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6DL683462
6 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8PS341686
7 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8HM273843
8 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4CD266585

9 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6SC968363
10 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3BM041729
11 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5PU516378
12 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3KF462262
13 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1CM649685
14 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0CF527630
15 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7PG297551
16 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9FW234179
17 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9KM672674
18 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5MK991400
19 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1RU723483
20 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6CL937793

उपरोक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री घनश्याम सिंह को परिवादी से दिनांक 15.07.2026 को ग्रहण की गई रिश्वत राशि 10,000/-रूपये के सम्बन्ध में पूछा गया तो अपने निजी खर्च में व्यय होना बताया। उक्त कार्यवाही की विडियोरिकॉर्डिंग ब्यूरो के सरकारी मोबाइल में लगे मेमोरी कार्ड से श्री लक्ष्मणसिंह, कनिष्ठ सहायक से करवायी गई। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि मुर्तिब की गई। तत्पश्चात दिनांक 29.07.2026 को परिवादी श्री हर्षिल जैन एवं आरोपी के मध्य हुई व्हॉट्सअप कॉल वार्ता, दिनांक 12.08.2026 को समय करीब 11.34 एएम पर परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई व्हॉट्सअप कॉल वार्ता, दिनांक 12.08.2026 को हुई परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता जो कि ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड थी, जिसकी स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी, आरोपी की उपस्थिति में बारी-बारी से फर्द ट्रांसक्रिप्टे मुर्तिब की गई। तत्पश्चात मौके पर उपस्थित श्री महेन्द्र परमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर को परिवादी एवं आरोपी के मध्य डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को बारी बारी से चलाकर श्री महेन्द्र परमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर को सुनाया जाकर श्री महेन्द्र परमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर आरोपी की आवाज की पहचान की। जिसकी फर्द मुर्तिब की गयी। परिवादी को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर द्वारा जारी नोटिस के सम्बन्ध में मूल प्रतियां तथा कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड यथा पत्र क्रमांक 2584 दिनांक 12.06.2026 के संलग्न परिवादी के पिता श्री अशोक कुमार जैन के नाम दिनांक 09.06.2026 को जारी नोटिस फार्म VA, नमूना खरीद बिल/कैश मेमौ, हर्बल ट्रेडिंग कम्पनी के सम्बन्ध में मौका फर्द इत्यादि मूल दस्तावेज प्राप्त किये गये। आरोपी के आवाज नमूना एवं स्पष्टीकरण हेतु पत्र जारी किये। जिस पर आरोपी ने आवाज नमूना नहीं देने तथा स्पष्टीकरण बाद में प्रस्तुत करना अंकित किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रैप कार्यवाही के दौरान वजह सबूत आर्टिकल की जब्ती की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग श्री लक्ष्मणसिंह, कनिष्ठ सहायक से सरकारी मोबाईल सेमसंग में लगे मेमोरी कार्ड से करवाई गई है। इस समय परिवादी एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में उक्त सरकारी मोबाईल सेमसंग में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड को सरकारी मोबाईल से निकलवाकर मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर के माध्यम से सरकारी लैपटॉप से श्री लक्ष्मणसिंह, कनिष्ठ सहायक द्वारा कनेक्ट करवा मेमोरी कार्ड में मौजूद वीडियो रिकॉर्डिंग को 03 नये पेनड्राईव में पृथक-पृथक कॉपी करवाया जाकर 01 पेनड्राईव में संरक्षित रिकॉर्डिंग की हैशवेल्यू लैपटॉप में इनस्टॉल सॉफ्टवेयर से निकाली जाकर हेशवैल्यू रिपोर्ट तैयार की गई। 01 पैनड्राईव को पेनड्राईव कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को श्री गुलाब सिंह हैड कानि. 121 से सीलचिट करवाकर मार्क VP अंकित कर जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। शेष 02 पेनड्राईव (01 आईओ एवं 01 आरोपी) को एक सफेद लिफाफे में खुला रखा गया। तत्पश्चात उक्त सरकारी मोबाईल सेमसंग में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी बरंग काला में संरक्षित वीडियो रिकार्डिंग की हैशवेल्यू लैपटॉप में इनस्टॉल सॉफ्टवेयर से निकाली जाकर हेशवैल्यू रिपोर्ट तैयार की गई। ब्यूरो के सरकारी मोबाईल सेमसंग को लैपटॉप से पृथक किया जाकर उसमें लगे मूल मैमोरी कार्ड को निकाला जाकर मैमोरी कार्ड कवर में सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थैली में श्री गुलाब सिंह हैड कानि. 121 से रखवाकर सीलचिट कर मार्क VM अंकित कर जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर संलग्न पत्रावली की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रैप कार्यवाही के दौरान परिवादी एवं आरोपी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर के मध्य दिनांक 13.07.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन व्हॉटसअप कॉल वार्ता, दिनांक 15.07.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन व्हॉटसअप कॉल वार्ता/रूबरू वार्ता, दिनांक 29.07.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन व्हॉटसअप कॉल वार्ता एवं दिनांक 12.08.2026 को रिश्वत लेनदेन के सम्बन्ध में हुई वार्तायें, जिनको ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड में संरक्षित किया गया है। इस समय परिवादी एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान की

उपस्थिति में उक्त डिजिटल वॉईस रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री लक्ष्मण सिंह, कनिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट कर मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं की 03 नये पेनड्राईव में पृथक-पृथक कॉपी करवायी जाकर 01 पेनडाईव में संरक्षित वार्ता की हैशवेल्यू लैपटॉप में इनस्टॉल सॉफ्टवेयर से निकाली जाकर हैशवेल्यू रिर्पार्ट तैयार की गई। 01 पैनड्राईव को पेनड्राईव कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को श्री गुलाब सिंह हैड कानि. से सीलचिट करा मार्क MP अंकित कर जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। शेष 02 पेनड्राईव (01 आईओ एवं 01 आरोपी) को एक सफेद लिफाफे में खुला रखा गया। तत्पश्चात ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड में संरक्षित वार्ताओं की हैशवेल्यू लैपटॉप में इनस्टॉल सॉफ्टवेयर से निकाली जाकर हैशवेल्यू रिपोर्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर को लैपटॉप से पृथक किया जाकर उसमें लगे मैमोरी कार्ड को निकाला जाकर मैमोरी कार्ड को मैमोरी कार्ड कवर में सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थैली में श्री गुलाब सिंह हैड कानि. से रखवाकर सीलचिट कर मार्क M अंकित कर जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर संलग्न पत्रावली की गई। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। समय 08.02 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी घनश्याम सिंह सोलंकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर के विरूद्ध धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने पर जुर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी में मिली राशि 500-500 रूपये के 18 नोट कुल 9,000/-रूपये के सम्बन्ध में आरोपी से पूछने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जिस पर उक्त राशि को संदिग्ध मानते हुए एक सफेद लिफाफे में रख चिट चस्पा कर कब्जे ब्यूरो लिये गये। जामातलाशी में आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल क्रमशः वीवो कम्पनी एवं आईफोन 17 प्रो मिले। उक्त दोनो मोबाइल को एक सफेद लिफाफे में रख चिट चस्पा कर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके अतिरिक्त आरोपी की जामा तलाशी में 03 पर्चिया जो कि जो कि किराणा स्टोर से संबंधित हो संदिग्ध मानते हुए शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी का 15 योम जेसी रिमाण्ड स्वीकृत कराकर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करवाया गया। ट्रैप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री हर्षिल जैन द्वारा प्रस्तुत शिकायत, ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं एवं उनकी मुर्तिबा ट्रांसक्रिप्ट एवं अन्य समस्त फर्दात से पाया गया है कि आरोपी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी पुत्र स्वर्गीय श्री मदनसिंह सोलंकी, उम्र 50 वर्ष मूल निवास चण्डावल नगर, तहसील सोजत जिला पाली हाल निवास 1 बी, आशीर्वाद, श्री गणेश कॉलोनी, जालिया रोड जिला ब्यावर हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर के द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री हर्षिल जैन से अवैध परितोषण प्राप्त करने हेतु परिवादी की गांव डगार स्थित दुकान और एजेन्सी पर रखे सामान का बार-बार निरीक्षण के लिए नहीं आने और सैम्पल के नाम पर परेशान नहीं करने के नाम पर दिनांक 15.07.2026 को मांग सत्यापन के दौरान साल में दो बार बंधी के रूप में दस-दस हजार रूपयों की रिश्वत की मांग करना तथा मांग सत्यापन के दौरान अपनी मांग अनुसार आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 10,000/-रूपये ग्रहण कर शेष रिश्वत राशि 10,000/-रूपये और लेकर आने की मांग करते हुए दिनांक 12.08.2026 को आरोपी के द्वारा परिवादी को अपने कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर बुलाना। जहां पर आरोपी श्री घनश्याम सिंह के द्वारा परिवादी से अपनी मांग अनुसार रिश्वत राशि 10,000/-रूपये मांगकर अपने दोनो हाथों से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई जींस की पेंट की बायी जेब में रखना तथा ब्यूरो जाप्ते को देख रिश्वत राशि परिवादी की कार में ही हैण्ड ब्रेक के पास रखना जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।अतः आरोपी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी पुत्र स्वर्गीय श्री मदनसिंह सोलंकी उम्र 50 वर्ष मूल निवास चण्डावल नगर, तहसील सोजत जिला पाली हाल निवास 1 बी, आशीर्वाद, श्री गणेश कॉलोनी, जालिया रोड जिला ब्यावर हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हैं। भवदीय, (रामसुमेर मीणा),पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,उदयपुर...........कार्यवाही पुलिस...........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामसुमेर मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी पुत्र स्वर्गीय श्री मदनसिंह सोलंकी, उम्र 50 वर्ष मूल निवास चण्डावल नगर, तहसील सोजत जिला पाली हाल निवास 1 बी, आशीर्वाद, श्री गणेश कॉलोनी, जालिया रोड जिला ब्यावर हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूम्बर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 261 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 1338-41 दिनांक 16.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJEEV JOSHI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/08/2026 14:56:56

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)